आई.सी.-14 - बीमा व्यवसाय विनियमन

पुस्तक में मूल पाठ
अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 427.

1.3 उपभोक्ता संरक्षण क़ानून, 1986 की संरचना

यह क़ानून निम्नलिखित तरीके से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय अर्द्ध-न्यायिक मशीनरी की कल्पना करता है:

1. **जिला आयोग**

   संरचना : अध्यक्ष – एक जिला न्यायाधीश और दो अन्य सदस्य (1 महिला सदस्य).

   अधिकार क्षेत्र : सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है.

2. **राज्य आयोग**

   संरचना : अध्यक्ष – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2 सदस्य से कम नहीं (1 महिला सदस्य)

   अधिकार क्षेत्र : दावा मूल्य की शिकायतें अगर 1 करोड़ रुपये से अधिक होती हैं लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती हैं.

3. **राष्ट्रीय आयोग**

   संरचना : अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 4 सदस्य से कम नहीं, 1 महिला सदस्य.

अधिकार क्षेत्र : मूल शिकायत जहाँ सेवाओं का मूल्य और मुआवजा 10 करोड़ रुपये से अधिक होता है.

सारांश

जिला आयोग	**संरचना**: अध्यक्ष – एक जिला न्यायाधीश और दो अन्य सदस्य (1 महिला सदस्य)। **अधिकार क्षेत्र**: सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।
राज्य आयोग	**संरचना**: अध्यक्ष – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सदस्य 2 से कम नहीं (1 महिला सदस्य) **अधिकार क्षेत्र**: दावा मूल्य की शिकायतें यदि 1 करोड़ रुपये से अधिक होती हैं लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती हैं।
राष्ट्रीय आयोग	**संरचना**: अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सदस्य 4 से कम नहीं, 1 महिला सदस्य। **अधिकार क्षेत्र**: मूल शिकायत जहाँ सेवाओं का मूल्य और मुआवजा 10 करोड़ रुपये से अधिक होता है।

संशोधित पाठ के रूप में
अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 427

1.3 उपभोक्ता संरक्षण क़ानून, 1986 की संरचना

यह क़ानून निम्नलिखित तरीके से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय अर्द्ध-न्यायिक मशीनरी की कल्पना करता है:

1. **जिला आयोग**

   संरचना : अध्यक्ष – एक जिला न्यायाधीश और दो अन्य सदस्य (1 महिला सदस्य).

   अधिकार क्षेत्र : सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है.

2. **राज्य आयोग**

   संरचना : अध्यक्ष – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 2 सदस्य से कम नहीं (1 महिला सदस्य)

   अधिकार क्षेत्र : दावा मूल्य की शिकायतें अगर 50 लाख रुपये से अधिक होती हैं लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती हैं.

3. **राष्ट्रीय आयोग**

   संरचना : अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, 4 सदस्य से कम नहीं, 1 महिला सदस्य.

अधिकार क्षेत्र : मूल शिकायत जहाँ सेवाओं का मूल्य और मुआवजा 2 करोड़ रुपये से अधिक होता है.

सारांश

जिला आयोग	**संरचना**: अध्यक्ष – एक जिला न्यायाधीश और दो अन्य सदस्य (1 महिला सदस्य)। **अधिकार क्षेत्र**: सेवाओं का मूल्य और क्षतिपूर्ति का दावा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है।
राज्य आयोग	**संरचना**: अध्यक्ष – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सदस्य 2 से कम नहीं (1 महिला सदस्य) **अधिकार क्षेत्र**: दावा मूल्य की शिकायतें यदि 50 लाख रुपये से अधिक होती हैं लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होती हैं।
राष्ट्रीय आयोग	**संरचना**: अध्यक्ष – सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सदस्य 4 से कम नहीं, 1 महिला सदस्य। **अधिकार क्षेत्र**: मूल शिकायत जहाँ सेवाओं का मूल्य और मुआवजा 2 करोड़ रुपये से अधिक होता है।

<u>पुस्तक में मूल पाठ</u>

<u>अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 429.</u>

<u>संशोधित पाठ के रूप में</u>

<u>अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 429</u>

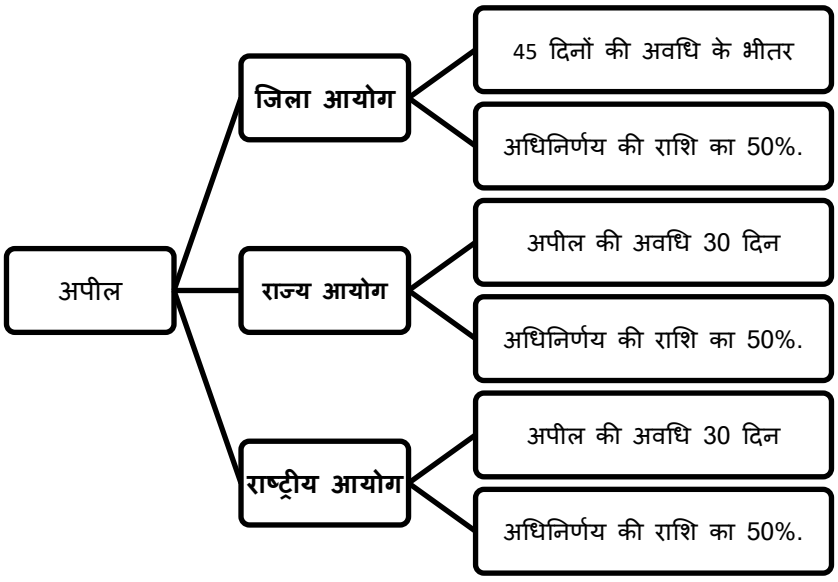

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 433 -सारांश.

- उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो एक प्रतिफल के बदले सामान / सेवाएं खरीदता है.
- उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय अर्द्ध-न्यायिक मशीनरी उपलब्ध कराता है.
- अधिकार क्षेत्र: जिला आयोग जहाँ सेवाओं और मुआवजे के दावे का मूल्य 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है. राज्य आयोग: 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से लेकर 10 करोड़ रुपये तक. राष्ट्रीय आयोग: 10 करोड़ रुपये से अधिक.
- लोक शिकायत निवारण नियमावली, 1998 बीमा कंपनियों की ओर से दावों के एक किफायती, कुशल और निष्पक्ष तरीके से निपटान से संबंधित सभी शिकायतों के समाधान के लिए तैयार की गयी है.
- बीमा ओम्बड्समैन का गठन बीमा उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए और शिकायतों के निवारण में शामिल समस्याओं को कम करने के लिए किया गया है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 433 -सारांश.

- उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो एक प्रतिफल के बदले सामान / सेवाएं खरीदता है.
- उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर त्रिस्तरीय अर्द्ध-न्यायिक मशीनरी उपलब्ध कराता है.
- अधिकार क्षेत्र: जिला आयोग जहाँ सेवाओं और मुआवजे के दावे का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होता है. राज्य आयोग: 50 लाख रुपये से अधिक की राशि से लेकर 2 करोड़ रुपये तक. राष्ट्रीय आयोग: 2 करोड़ रुपये से अधिक.
- लोक शिकायत निवारण नियमावली, 1998 बीमा कंपनियों की ओर से दावों के एक किफायती, कुशल और निष्पक्ष तरीके से निपटान से संबंधित सभी शिकायतों के समाधान के लिए तैयार की गयी है.
- बीमा ओम्बड्समैन का गठन बीमा उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए और शिकायतों के निवारण में शामिल समस्याओं को कम करने के लिए किया गया है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 434 -सारांश

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 2

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरें

उपभोक्ता संरक्षण क़ानून, 1986 के अनुसार एक जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र सेवाओं और मुआवजे का मूल्य अधिक से अधिक _____ होने तक रहता है.

A. 10 लाख रुपये

B. 20 लाख रुपये

C. 50 लाख रुपये

D. 1 करोड़ रुपये

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 436 -सारांश

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

स्व-परीक्षा प्रश्न 2 **का उत्तर**

सही विकल्प '**B**' है.

उपभोक्ता संरक्षण क़ानून, 1986 के अनुसार एक जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र सेवाओं और मुआवजे का मूल्य अधिक से अधिक 20 लाख रुपये होने तक रहता है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 434

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 2

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरें

उपभोक्ता संरक्षण क़ानून, 1986 के अनुसार एक जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र सेवाओं और मुआवजे का मूल्य अधिक से अधिक _____ होने तक रहता है.

A. 10 लाख रुपये

B. 20 लाख रुपये

C. 50 लाख रुपये

D. 1 करोड़ रुपये

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 436

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

स्व-परीक्षा प्रश्न 2 का उत्तर

सही विकल्प 'C' है.

उपभोक्ता संरक्षण क़ानून, 1986 के अनुसार एक जिला आयोग का अधिकार क्षेत्र सेवाओं और मुआवजे का मूल्य अधिक से अधिक 50 लाख रुपये होने तक रहता है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 435 -सारांश

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरें

जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील _____ दिनों के भीतर की जानी चाहिए.

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 436 -सारांश

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

स्व-परीक्षा प्रश्न 3 का उत्तर

सही विकल्प 'C' है.

जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील 30 दिनों के भीतर फ़ाइल की जानी चाहिए. यह अपील जिला आयोग द्वारा अधिनिर्णय की राशि का 50% जमा करने अधीन है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 435

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

सही विकल्प चुनकर खाली स्थान को भरें

जिला आयोग के निर्णय के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील _____ दिनों के भीतर की जानी चाहिए.

A. 15

B. 30

C. 45

D. 60

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 436

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

स्व-परीक्षा प्रश्न 3 **का उत्तर**

सही विकल्प 'C' है.

जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग के समक्ष अपील 45 दिनों के भीतर फ़ाइल की जानी चाहिए. यह अपील जिला आयोग द्वारा अधिनिर्णय की राशि का 50% जमा करने अधीन है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 435 -सारांश

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 5

बीमा ओम्बड्समैन बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायतों पर विचार कर सकता है जब माँगी गयी राहत की कुल राशि _____ रुपये से कम है.

A. 10 लाख

B. 20 लाख

C. 1 करोड़

D. 2 करोड़

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 436 -सारांश

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

स्व-परीक्षा प्रश्न 5 **का उत्तर**

सही विकल्प '**B**' है.

बीमा ओम्बड्समैन के समक्ष शिकायत दर्ज करने की पूर्व-अर्हताओं में से एक यह है कि माँगी गयी राहत की राशि 20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 435

स्व-परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 5

बीमा ओम्बड्समैन बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायतों पर विचार कर सकता है जब माँगी गयी राहत की कुल राशि _____ रुपये से कम है.

A. 10 लाख

B. 30 लाख

C. 1 करोड़

D. 2 करोड़

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 8 पृष्ठ क्र. 436

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

स्व-परीक्षा प्रश्न 5 **का उत्तर**

सही विकल्प '**B**' है.

बीमा ओम्बड्समैन के समक्ष शिकायत दर्ज करने की पूर्व-अर्हताओं में से एक यह है कि माँगी गयी राहत की राशि 30 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 5.

- एफडीआई मानदंडों के अनुसार, भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी भागीदारी 26% इक्विटी / साधारण शेयरिंग पूंजी तक ही सीमित थी एवं शेष राशि भारतीय प्रमोटर संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित की जानी थी. अप्रैल 2015 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अकेले बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को 49% तक बढ़ाने के लिए सरकार के फैसले को अधिसूचित कर दिया.

संशोधित पाठ के रूप में
अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 5

- एफडीआई मानदंडों के अनुसार, भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी भागीदारी 49% इक्विटी / साधारण शेयरिंग पूंजी तक ही सीमित थी एवं शेष राशि भारतीय प्रमोटर संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित की जानी थी. संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ाकर 74% करने के लिए बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 पारित कर दिया है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 7.

स्व:परीक्षण 1

प्रश्न 1

वर्तमान एफडीआई मानदंडों के अनुसार बीमा क्षेत्र की एफडीआई सीमा कितनी है?

A. 49%

B. 74%

C. 100%

D. भारत में बीमा क्षेत्र में कोई एफडीआई की अनुमति नहीं है

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 13.

स्व:परीक्षणके उत्तर

प्रश्न 1 **का उत्तर**

सही विकल्प **A** है.

वर्तमान एफडीआई मानदंडों के अनुसार बीमा क्षेत्र की वर्तमान एफडीआई सीमा 49% है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 7

स्व:परीक्षण 1

प्रश्न 1

वर्तमान एफडीआई मानदंडों के अनुसार बीमा क्षेत्र की एफडीआई सीमा कितनी है?

A. 49%

B. 74%

C. 100%

D. भारत में बीमा क्षेत्र में कोई एफडीआई की अनुमति नहीं है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 13

स्व:परीक्षणके उत्तर

प्रश्न 1 **का उत्तर**

सही विकल्प **B** है.

वर्तमान एफडीआई मानदंडों के अनुसार बीमा क्षेत्र की वर्तमान एफडीआई सीमा 74% है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 11- सारांश (बुलेट बिंदु)

➢ वर्ष 2000 में सरकार द्वारा सुधार शुरू किए गए थे एवं आईआरडीएआई का गठन किया गया था. बीमा क्षेत्र को उदार बनाया गया एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था. वर्तमान नियमों के मुताबिक बीमा क्षेत्र में 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 11- सारांश (बुलेट बिंदु)

➢ वर्ष 2000 में सरकार द्वारा सुधार शुरू किए गए थे एवं आईआरडीएआई का गठन किया गया था. बीमा क्षेत्र को उदार बनाया गया एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया गया था. वर्तमान नियमों के मुताबिक बीमा क्षेत्र में 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 12- सारांश (बुलेट बिंदु)

➢ भारतीय स्वाभित्व और नियंत्रण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश कैप को 26% से 49% की सीमा तक बढ़ाने का प्रावधान करता है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 1 पृष्ठ क्र. 12 - सारांश (बुलेट बिंदु)

➢ भारतीय स्वाभित्व और नियंत्रण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश कैप को 49% से 74% की सीमा तक बढ़ाने का प्रावधान करता है

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 140

स्वयं परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 2

सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान भरें:

बीमा ब्रोकर के मामले में, प्रधान अधिकारी एवं व्यक्ति जो व्यवसाय प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम _____ घंटे सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है.

A. 10

B. 100

C. 200

D. 500

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 143

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 2

सही विकल्प **B** है.

बीमा ब्रोकर के मामले में, प्रधान अधिकारी एवं व्यक्तियों जिन्हें बीमा व्यवसाय के आग्रह एवं खरीद के लिए आईआरडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम 100 घंटे सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करपरीक्षण की अवधि के अंत में राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 140

स्वयं परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 2

सही विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान भरें:

बीमा ब्रोकर के मामले में, प्रधान अधिकारी एवं व्यक्ति जो व्यवसाय प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम _____ घंटे सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है.

A. 10

B. 50/25

C. 200

D. 500

संशोधित पाठ के रूप में
अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 143

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 2

सही विकल्प **B** है.

बीमा ब्रोकर के मामले में, प्रधान अधिकारी एवं व्यक्तियों जिन्हें बीमा व्यवसाय के आग्रह एवं खरीद के लिए आईआरडीएआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम 50/25 घंटे सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करपरीक्षण की अवधि के अंत में राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 141

स्वयं परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

सही विकल्प चुनकर रिक्त भरें

आवश्यक न्यूनतम पूंजी प्रत्यक्ष ब्रोकर के लिए _____ , एक पुनर्बीमा ब्रोकर लिए _____ एवं संयुक्तब्रोकर_____ है.

A. 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख

B. 50 लाख, 200 लाख, 250 लाख

C. 200 लाख, 100 लाख, 50 लाख

D. 250 लाख, 200 लाख, 50 लाख

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 143

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 3

सही विकल्प **B** है.

बीमा ब्रोकर द्वारा जरूरी पूंजी की न्यूनतम राशि बीमा ब्रोकर के प्रकार पर निर्भर करती है. प्रत्यक्ष ब्रोकर के लिए यह राशि 50 लाख है, एक पुनर्बीमा ब्रोकर के लिए यह 200 लाख है एवं एक संयुक्तब्रोकर के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी 250 लाख है.

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 141

स्वयं परीक्षा प्रश्न

प्रश्न 3

सही विकल्प चुनकर रिक्त भरें

आवश्यक न्यूनतम पूंजी प्रत्यक्ष ब्रोकर के लिए _____ , एक पुनर्बीमा ब्रोकर लिए _____ एवं संयुक्तब्रोकर_____ है.

A. 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख

B. 75 लाख, 400 लाख, 500 लाख

C. 200 लाख, 100 लाख, 50 लाख

D. 250 लाख, 200 लाख, 50 लाख

संशोधित पाठ के रूप में
अध्याय 3 पृष्ठ क्र. 143

स्व-परीक्षा प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 3

सही विकल्प **B** है.

बीमा ब्रोकर द्वारा जरूरी पूंजी की न्यूनतम राशि बीमा ब्रोकर के प्रकार पर निर्भर करती है. प्रत्यक्ष ब्रोकर के लिए यह राशि 75 लाख है, एक पुनर्बीमा ब्रोकर के लिए यह 400 लाख है एवं एक संयुक्तब्रोकर के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी 500 लाख है.

पुस्तक में मूल पाठ

अध्याय 6 पृष्ठ क्र. 338

स्व परीक्षण-

प्रश्न 1

सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरें

वह दस्तावेज जिसके माध्यम से जीवन बीमा की पॉलिसी का हस्तांतरण या समनुदेशन किया जाता है वह _____, _____ और _____ होना चाहिए.

(i) हस्ताक्षरित

(ii) अभिप्रमाणित

(iii) अधिसूचित

(iv) स्टाम्प लगा हुआ

A. (i), (ii) और)ii)

B. (ii), (iii) और)iv)

C. (i), (ii) और)iv)

D. (i), (ii) और)iv)

संशोधित पाठ के रूप में

अध्याय 6 पृष्ठ क्र. 338

स्व परीक्षण-

प्रश्न 1

सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरें

वह दस्तावेज जिसके माध्यम से जीवन बीमा की पॉलिसी का हस्तांतरण या समनुदेशन किया जाता है वह _____, _____ और _____ होना चाहिए.

(i) हस्ताक्षरित

(ii) अभिप्रमाणित

(iii) अधिसूचित

(iv) स्टाम्प लगा हुआ

A. (i), (ii) और)iii)

B. (ii), (iii) और)iv)

C. (i), (iii) और)iv)

D. (i), (ii) और)iv)